247

जिला सैक्टर योजना 2013–14
आयोजनागत पक्ष
संख्याः 891 / XV-1/ 13/1(3)/11

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़ एवं हरिद्वार।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 19 जून, 2013

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत जिला सैक्टर योजनाओं में धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, पशुपालन के पत्र संख्या–1257/नि०–5/एक(26)/आय–व्यय/2012–13 दिनांक 14 जून, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में पशुपालन विभाग हेतु अनुदान संख्या–28 के अन्तर्गत जिला सैक्टर योजनाओं हेतु आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नानुसार योजनावार, जनपदवार, आहरण वितरण अधिकारीवार, मदवार कुल धनराशि **₹ 20.78 लाख (₹ बीस लाख अठ्हत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रादिष्ठ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि हजार ₹ में)

योजना का विवरण	पिथौरागढ़	हरिद्वार	कुल धनराशि
अनुदान संख्या–28–2403–पशुपालन–आयोजनागत–00–			
101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–91–जिला योजना			
9102–पशु चिकित्सा हेत दवा वैक्सीन आदि क्रय/शिविरों का आयोजन			
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	00	133	133
31–सामग्री सम्पूर्ति	00	92	92
39–औषधि तथा रसायन	00	1255	1255
42–अन्य व्यय	00	170	170
योग	**00**	**1650**	**1650**
102–पशु तथा भैस विकास–91–जिला योजना			
9102–वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण			
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	00	15	15
योग	**00**	**15**	**15**
104–भेड़ एवं ऊन विकास–91–जिला योजना			
9101–भेडों को परजीवी कीटाणुओं से बचाव की योजना			
39–औषधि तथा रसायन	00	34	34
योग	**00**	**34**	**34**

9105–दारिन्दा पद्धति पर निःशुल्क बकरा सांड़ों का वितरण			
42–अन्य व्यय	00	80.	80
योग	**00**	**80**	**80**
107–चारा और चारागाह विकास–91–जिला योजना			
9101–प्रदेश में चारा विकास कार्यकम का सघनीकरण एवं सघन विकास			
42–अन्य व्यय	99	200	299
योग	**99**	**200**	**299**
योग अनुदान संख्या–28 (जिला योजना)	**99**	**1979**	**2078**

(1) निर्गत स्वीकृति को तत्काल मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के नियंत्रण में व्यय हेतु प्रादिष्ट करना सुनिश्चित करें तथा धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए स्वीकृति परिव्यय के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–08 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों, क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन कर लिया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(4) उक्त धनराशि का व्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

2. इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की मानक मद अनुदान सं० 28 के अन्तर्गत 102–पशु और भैंस विकास के योजना कोड–9102–वर्तमान कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना व सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत 20–सहायक अनुदान मानक मद में अवमुक्त **₹ 15 हजार** का अग्रिम आहरण कर यू०एल०डी०बी० को उपलब्ध कराया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश–413/XXVII(1)/2013 दिनांक 10 जून, 2013 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्याः 891 (1) / XV-1/ 2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूँ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़ / हरिद्वार।
5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़ / हरिद्वार।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–4 / नियोजन अनुभाग।
8. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, एन०आई०सी० को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।
10. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव